

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी।
(सूची संलग्न)

पटना, दिनांक : 06-03-19

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- एलोपैथी-200- अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0002-कुष्ठ निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड- 20-2210012000002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते मदों में कुल-₹71,76,500/- (एकहत्तर लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ रु.) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-19(7)ब दिनांक-14.06.18, 53(7)ब दिनांक-11.10.18, 62(7)ब दिनांक-03.12.18 एवं 85(7)ब दिनांक-25.1.19 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते मदों में मांग पत्र के आलोक में कुल-₹71,76,500/- (एकहत्तर लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ रु.) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0002-कुष्ठ निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड-20-2210012000002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से तथा पुनर्विनियोग (स्वीकृत्योदश संख्या-115(7) दिनांक-26.12.18) से प्राप्त राशि से की जायेगी।

4. राशि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारियों / कर्मचारियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे।

6. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- 96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.3.2001, 241(9) दिनांक- 21.5.2002, 379(9) दिनांक- 16.8.2002 एवं 73(9) दिनांक- 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा।

7. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने तथा उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।


9

2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।


9. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
11. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव



ज्ञापांक : 105 (7) a


पटना, दिनांक : 06-03-19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/सम्बंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित उपकोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक/सम्बंधित सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई0टी0 मैनेजर, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव



विवरण-1

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित कुष्ठ निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड 20-2210012000002 के उपशीर्ष का अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	कुल योग वेतन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अपर मु0चि0पदा0, रोहतास	1000000	100000	200000	30000	87000	1417000	31/13.2.19
2	अपर मु0चि0पदा0, दरभंगा	600000	60000	120000	40000	54000	874000	93/12.2.19
3	अपर मु0चि0पदा0, भागलपुर	3600000	360000	300000	108000	517500	4885500	25/11.1.19, 39/25.1.19
	कुल	5200000	520000	620000	178000	658500	7176500	

(एकहत्तर लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ) रू0 मात्र

Q 6/19

सरकार के विशेष सचिव

किशोर

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0002-01-01)	450000000	430959500	5200000	436159500	13840500
2	जीवन यापन भत्ता (0002-01-03)	50000000	42477950	520000	42997950	7002050
3	मकान किराया भत्ता (0002-01-04)	81220000	80271900	620000	80891900	328100
4	परिवहन भत्ता (0002-01-05)	316000	306024	0	306024	9976
5	चिकित्सा भत्ता (0002-01-06)	13968000	12899785	178000	13077785	890215
6	अन्य भत्ता (0002-01-07)	10152000	8640190	658500	9298690	853310
	योग 20-2210.01.200.0002.01 वेतन	605656000	575555349	7176500	582731849	22924151
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002-06-01)	700000	700000	0	700000	0
8	यात्रा व्यय (0002-11-01)	400000	393000	0	393000	7000
9	कार्यालय व्यय (0002-13-01)	900000	900000	0	900000	0
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002-13-02)	400000	250000	0	250000	150000
11	दूरभाष (0002-13-03)	200000	138500	0	138500	61500
12	विद्युत प्रभार (0002-13-04)	380000	380000	0	380000	0
13	विधि प्रभार (0002-13-05)	200000	200000	0	200000	0
14	दर्दी / पोषाक (0002-13-06)	70000	70000	0	70000	0
15	किराया महसूल एवं कर (0002-14-01)	300000	75492	0	75492	224508
16	प्रशिक्षण व्यय (0002-20-03)	2100000	0	0	0	2100000
17	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0002-21-01)	500000	385000	0	385000	115000
18	दवा भंडार (0002-21-02)	500000	240000	0	240000	260000
19	आहार / पथ्य (0002-21-03)	1500000	1500000	0	1500000	0
20	अनुरक्षण एवं गरमता (0002-27-02)	1000	0	0	0	1000
21	सविदा सेवाएँ (0002-28-02)	401000	365124	0	365124	35876
	कुल योग:-	614208000	581152465	7176500	588328965	25879035

105(7)व

06-03-19

Q 6/19

सरकार के विशेष सचिव

किशोर